

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/ 51

दिनांक: 5.1.21

प्रेस-नोट

90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

राज्य की 20 जिलों की 87 नगरीय निकायों के आम चुनाव होने शेष हैं। इसके अतिरिक्त राजसमंद जिले की नगर परिषद राजसमंद और टोंक जिले की नगरपालिका मालपुरा और टोडारायसिंह का कार्यकाल भी माह जनवरी, 2021 में समाप्त हो रहा है। इस प्रकार आयोग द्वारा कुल 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराये जाने हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जोधपुर ने डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10399/2020, ओमप्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.12.2020 को आम चुनाव से शेष रही उक्त 87 नगर निकायों के आम चुनाव दिनांक 15 फरवरी, 2021 तक कराने के निर्देश दिये हैं। उक्त 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 17.12.2020 को गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की गई।

उक्तानुसार आयोग ने 20 जिलों की कुल 90 नगर निकायों के आम चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इन 90 नगरीय निकायों में एक नगर निगम, 09 नगरपरिषद एवं 80 नगरपालिका शामिल हैं। 90 नगरीय निकायों सूची परिशिष्ट-A पर संलग्न है।

● आम चुनाव कार्यक्रम

90 नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

➤ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	11.01.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.01.2021 (शुक्रवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	16.01.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	19.01.2021 (मंगलवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	20.01.2021 (बुधवार)
6.	मतदान की तिथि	28.01.2021 (गुरुवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	31.01.2021 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

चिन्ता
5/1/2021

➤ अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	01.02.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	02.02.2021 (मंगलवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	03.02.2021 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	04.02.2021 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	04.02.2021 (गुरुवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	07.02.2021 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	07.02.2021 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ उपाध्यक्ष के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	08.02.2021 (सोमवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय-सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

● मतदाताओं का विवरण

90 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय कुल मतदाताओं का विवरण निम्नानुसार है:-

मतदाताओं का विवरण			
पुरुष	महिला	अन्य	कुल
1511208	1440565	62	2951835

चित्र

अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर उक्त 90 नगरीय निकायों में से 87 नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.07.2020 को एवं राजसमंद जिले की नगर परिषद राजसमंद और टोंक जिले की नगरपालिका मालपुरा और टोडारायसिंह के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.11.20020 को किया गया था।

इसके पश्चात् आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को निरन्तर अद्यतन कर नाम जोड़े जा रहे हैं। वर्ष 2020 समाप्त होने से अब इस प्रक्रिया में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 01.01.2021 को 18 वर्ष हो गई है, उनके नाम भी सम्मिलित करने के लिए आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली को अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर अद्यतन (Update) करने का निर्णय लिया गया है। इस निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों के निस्तारण के पश्चात मतदाताओं की उक्त संख्या में परिवर्तन संभव है।

- **वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण**

आयोग द्वारा इन 90 नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करते समय COVID-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 750 रखी गई है और तदनुसार मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, इन निकायों के वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या
3035	5253

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन**

इन निकायों के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आम चुनाव के लिए उपयोग में आने वाली आवश्यक ईवीएम (EVMs) का आवंटन किया जा चुका है। आयोग द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार अन्य जिले से स्थानान्तरण की ऑन लाईन ट्रेकिंग इस हेतु तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान हेतु ईवीएम के आवंटन के लिए रेण्डमाइजेशन (Randomization) भी किया जाएगा।

- **मतदान का समय**

मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक नियत किया गया है।

- **मतदाताओं की पहचान**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

चित्र
51/2021

- मतदाता सहायता

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के पश्चात् Epic No अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

नगर निगम एवं नगर परिषद के मामलों में मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) स्थापित कर प्रत्येक सहायता केन्द्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे। इन सहायता केन्द्रों पर मतदाता को मतदाता सूची में उनका क्रमांक एवं बूथ संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

- चुनाव कार्य हेतु नियोजित होने वाले कार्मिकों का विवरण

इन निर्वाचनों को संपादित कराने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 30,000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों का रेण्डमाईजेशन (Randomization) सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।

- चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

इन नगरीय निकायों के लिए मतदान, मतगणना अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक नियोजित किये जायेंगे।

- चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। आयोग कार्यालय में स्थापित यह नियन्त्रण कक्ष प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक लगातार कार्यशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाषों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	0141-2385062
2.	0141-2385067
3.	0141-2385059

- अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं, जिसके अनुसार नगर निगम सदस्य के लिए यह सीमा 2,50,000/-, नगर परिषद सदस्य के लिए 1,50,000/-, एवं नगरपालिका सदस्य के लिए 1,00,000/- निर्धारित की गई है। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) या इनके द्वारा नामांकित अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा

आयोग द्वारा दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोड़ने के निर्देशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।

- कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन, पत्रों का प्रस्तुतिकरण, सवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु नगर निगम के चुनाव के लिए गाईडलाईन जारी की गई है। यह गाईडलाईन इन चुनावों में भी लागू रहेंगी।

निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (civil) No.07/2020 में दिनांक 18.12.2020 को पैरा 12-14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करें।

- आदर्श आचरण संहिता

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

चुनाव के संचालन के लिए कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यक के कारण इन 20 जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानान्तरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा।

जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो स्थानान्तरणाधीन कर्मचारी/अधिकारी दिनांक 07.01.2021 तक कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सकेंगे।

समस्त अभ्यर्थी, सभी राजनैतिक दलों, मतदाताओं एवं आमजन से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं कोरोना महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (civil) No.07/2020 में दिनांक 18.12.2020 को दिये गये निर्देशों की पालना कर स्वयं को सुरक्षित रखे एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्वाचन संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करावें।

आयोग मीडिया से भी शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करने की अपील करता है।

चित्रा
5/1/2021
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 5.1.21

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/ 52-56
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

अशोक
5.1.2021
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

90 नगरीय निकायों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	नगर निकाय की क्र.सं.	नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम का नाम	वार्ड संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1	अजमेर नगरनिगम	80
		2	नगरपरिषद किशनगढ़	60
		3	न.पा. विजय नगर	35
		4	न.पा. केकड़ी	40
		5	न.पा. सरवाड़	25
2.	बांसवाड़ा	6	न.पा. कुशलगढ़	20
3.	बीकानेर	7	न.पा. नोखा	45
		8	न.पा. देशनोक	25
		9	न.पा. श्रीडूंगरगढ़	40
4.	भीलवाड़ा	10	नगरपरिषद भीलवाड़ा	70
		11	न.पा. शाहपुरा	35
		12	न.पा. जहाजपुर	25
		13	न.पा. माण्डलगढ़	20
		14	न.पा. गंगापुर	25
		15	न.पा. आसीन्द	25
		16	न.पा. गुलाबपुरा	35
5.	बून्दी	17	नगरपरिषद बून्दी	60
		18	न.पा. लाखेरी	35
		19	न.पा. केशोरायपाटन	25
		20	न.पा. नैनवां	25
		21	न.पा. कापरेन	25
		22	न.पा. इन्द्रगढ़	20
6.	प्रतापगढ़	23	नगरपरिषद प्रतापगढ़	40
		24	न.पा. छोटी सादड़ी	25
7.	चित्तौड़गढ़	25	न.पा. बड़ी सादड़ी	25
		26	न.पा. कपासन	25
		27	न.पा. बेगूं	25

8.	चुरु	28	न.पा. रतनगढ़	45
		29	नगरपरिषद सुजानगढ़	60
		30	न.पा. सरदारशहर	55
		31	न.पा. छापर	25
		32	न.पा. बीदासर	35
		33	न.पा. रतननगर	20
		34	न.पा. तारानगर	35
		35	न.पा. राजलदेसर	35
9.	डूंगरपुर	36	नगरपरिषद डूंगरपुर	40
		37	न.पा. सागवाड़ा	35
10.	हनुमानगढ़	38	न.पा. संगरिया	35
		39	न.पा. नोहर	40
		40	न.पा. भादरा	40
		41	न.पा. रावतसर	35
		42	न.पा. पीलीबंगा	35
11.	जैसलमेर	43	न.पा. पोकरण	25
12.	जालौर	44	न.पा. सांचोर	35
13	झालावाड़	45	नगरपरिषद झालावाड़	45
		46	न.पा. भवानीमण्डी	40
		47	न.पा. झालरापाटन	35
		48	न.पा. पिडावा	20
		49	न.पा. अकलेरा	35
14.	झुन्झुनू	50	न.पा. नवलगढ़	45
		51	न.पा. चिडावा	40
		52	न.पा. बग्गड़	20
		53	न.पा. खेतड़ी	25
		54	न.पा. मण्डावा	25
		55	न.पा. मुकुन्दगढ़	25
		56	न.पा. सूरजगढ़	25
		57	न.पा. उदयपुरवाटी	35
15.	नागौर	58	नगरपरिषद नागौर	60
		59	न.पा. लाडनूं	45
		60	न.पा. मेड़तासिटी	40
		61	न.पा. कुचामनसिटी	45
		62	न.पा. परबतसर	25

		63	न.पा. नावां	25
		64	न.पा. कुचेरा	25
		65	न.पा. मूण्डवा	25
		66	न.पा. डेगाना	25
16.	पाली	67	न.पा. सोजतसिटी	40
		68	न.पा. सादडी	35
		69	न.पा. बाली	25
		70	न.पा. तख्तागढ़	25
		71	न.पा. रानीखुर्द	20
		72	न.पा. जैतारण	25
		73	न.पा. फालना स्टेशन	25
17.	राजसमन्द	74	नगरपरिषद राजसमन्द	45
		75	न.पा. देवगढ़	25
18.	सीकर	76	न.पा. फतेहपुर-शेखावाटी	55
		77	न.पा. लक्ष्मणगढ़	40
		78	न.पा. रामगढ़ शेखावाटी	35
		79	न.पा. श्रीमाधोपुर	35
		80	न.पा. खण्डेला	25
		81	न.पा. रींगस	35
		82	न.पा. लोसल	35
19.	टोंक	83	न.पा. निवाई	35
		84	न.पा. देवली	25
		85	न.पा. उनियारा	20
		86	न.पा. मालपुरा	35
		87	न.पा. टोडारायसिंह	25
20.	उदयपुर	88	न.पा. फतह नगर - सनवाड	25
		89	न.पा. भीण्डर	25
		90	न.पा. सलूम्बर	25
कुल योग				3035

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

14.